R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 8
फरवरी 2017

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

भुगतान और निपटान प्रणाली

भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) पर प्रतिक्रिया मांगी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 फरवरी 2017 को अपने वेबसाईट (www.rbi.org.in) में सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र को रखा है। इस मसौदा परिपत्र की विशेषताएं निम्नानुसार है:

एमडीआर के आधार मे परिवर्तन

विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि लेन-देन के मूल्य के आधार पर वर्तमान स्लैब-दर एमडीआर के स्थान पर व्यापारी कारोबार आधार पर एमडीआर का पुनर्गठन किया जाए। खर्चों के गैर विवेकाधीन स्वरूप, इत्यादि.को देखते हुए सरकारी लेनदेन के लिए और विशेष व्यापारी श्रेणी के लिए एक भिन्न एमडीआर संरचना को भी प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह,एसेट-लाइट डिजीटल बुनियादी सुविधाओं जैसे क्यूआर (क्विक रिस्पांस) कोड को बढ़ावा देने की जरुरत को देखते हुए, भौतिक टर्मिनलों से जुड़े बुनियादी ढांचे, मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल (एमपीओएस) और डिजिटल स्वीकृति बुनियादी ढांचा मॉडल जैसे, क्यूआर कोड के बीच अंतर करने के लिए एमडीआर की जरूरत है। इसी तरह, ऐसे मामलों में जहां व्यापारी कार्ड स्वीकृति बुनियादी सुविधाओं के लिए अग्रिम भुगतान करने को तैयार है, एमडीआर निचले स्तर पर होना ही होगा।

व्यापारी छूट दर (एमडीआर):

विभिन्न व्यापारी श्रेणियों के लिए डेबिट कार्ड के लेनदेन के लिए अधिकतम एमडीआर निम्नानुसार होगा:

व्यापारी श्रेणी	डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर (लेनदेन मूल्य के प्रतिशत के रूप में)	
	भौतिक पीओएस बुनियादी सुविधा	डिजीटल पीओएस
छोटे व्यापारी	0.40 प्रतिशत से अधिक नहीं	0.30 प्रतिशत से अधिक नहीं
विशेष व्यापारी श्रेणी	0.40 प्रतिशत से अधिक नहीं	0.30 प्रतिशत से अधिक नहीं
सभी अन्य श्रेणी के व्यापारी (सरकारी के अलावा)	0.95 प्रतिशत से अधिक नहीं	0.85 प्रतिशत से अधिक नहीं
सरकारी लेनदेन	• भारतीय रुपए1 से भारतीय रुपए1000 के लेनदेन मूल्य के लिए सीधा शुल्क भारतीय रुपए 5 • भारतीय रुपए 1001 से भारतीय रुपए 2000 के लेनदेन मूल्य के लिए सीधा शुल्क भारतीय रुपए 10 • प्रति लेनदेन भारतीय रुपया 250 की सीमा के साथ एमडीआर भारतीय रुपए 2001 के ऊपर लेनदेन मूल्य के लिए 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं	

पेट्रोल / ईंधन के लिए डेबिट कार्ड के लिए एमडीआर का निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ उद्योग परामर्श प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लिया जाएगा।

इस दोहराया जाता है कि बैंकों और अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क उक्त निदेशों का सख्ती से पालन करें। इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ''व्यापारी ग्राहकों द्वारा कोई सुविधा या सर्विस चार्ज देय नहीं है'' के संकेतक के अलावा किसी अन्य संकेतक को प्रदर्शित न करें।

कार्ड नेटवर्क लागू इंटरचेंज और नेटवर्क फीस में उपयुक्त संशोधन करेगा, अधिमानतः किसी भी सीधे शुल्क आधार के बजाय प्रतिशत आधार पर। बैंकों को मासिक किराया भी उचित रूप से युक्तिसंगत करना होगा, जो व्यापार स्थान पर खोले गए कार्ड स्वीकृति के बुनियादी ढांचे के प्रकार को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों से वसूल किया जाता है,यदि कोई हो तो।

व्यापारी श्रेणियां:

व्यापारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(अ) जीएसटी के दायरे से बाहर कारोबार के साथ छोटे व्यापारियों (रू.20 लाख प्रतिवर्ष की तुलना में कम कारोबार)

(आ) सरकारी लेनदेन

(इ) विशेष व्यापारी श्रेणी

(ई) जीएसटी के दायरे के भीतर कारोबार के साथ व्यापारियों की अन्य श्रेणियां (रू.20 लाख प्रतिवर्ष की तुलना में अधिक कारोबार)

पारदर्शिता और एकरूपता के लिए वर्तमान जीएसटी सीमा को उपरोक्त वर्गीकरण के लिए विचार किया गया है। जब और जैसे जीएसटी सीमा में परिवर्तन होगा, उसे उचित रूप से व्यापारी वर्गीकरण के लिए शामिल किया जाएगा।

जबकि विशेष वर्ग और सरकारी लेनदेन के लिए चुनिंदा व्यापारियों को अनिर्वाय रूप से विशेष श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाना है, बैंक अपने विवेकाधिकार से व्यापारी की अन्य श्रेणियों को सूची में जोड़ सकते हैं।

विषय सूची

	पृष्ठ
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• आरबीआई ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए एमडीआर पर प्रतिक्रिया मांगी	1
छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2016-17	2
सरकारी और बैंक लेखा	
• व्यापारी छूट दर की प्रतिपूर्ति	2
बैंकिंग विनियमन	
• बासल III पूंजी विनियम - अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	3
• आरआरबी बड़ा गोल्ड ऋण प्रदान कर सकते हैं	3
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• मास्टर निदेश मुद्रा अंतरण सर्विस योजना	3
• बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय निवेशक	3
• एनआरआई ईटीसीडी बाजार एसेस कर सकते हैं	4
• उल्लंघनों की कंपाउंडिंग	4
गैर बैंकिंग विनियमन	
• दिशा निर्देशों की समीक्षा- ''ऋण का मूल्य निर्धारण''	4
मुद्रा प्रबंधन	
• तिजोरी शेष सीमा / नकदी धारण सीमा	4
वित्तीय बाजार विनियमन	
• एफआरए और आईआरएस - पाक्षिक विवरणों की प्रस्तुती	4

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 फरवरी 2017 को आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए।

परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 पर अपरिवर्तित रहेंगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख के अनुरूप है जो वृद्धि को सहारा देते हुए वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति का 5 प्रतिशत का उद्देश्य हासिल करने और +/- 2 प्रतिशत के बैंड के अंदर 4 प्रतिशत के मध्यावधि लक्ष्य के अनुरूप है।

अन्य मुख्य विशेषताएं

- चारों ओर संतुलित जोखिमों के साथ सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) विकास दर 2016-17 के लिए 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है। 2017-18 में विकास दर के तेजी से ठीक हो जाने की उम्मीद है और उसके 7.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- समिति सकल मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर और नपे-तुले ढंग से 4.0 प्रतिशत के करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- रिज़र्व बैंक अपने सभी उपकरणों के साथ कुशल और उचित चलनिधि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।
- प्रगतिशील पुन:मुद्रीकरण से अधिशेष चलनिधि में गिरावट आनी चाहिए।

समिति का मानना है कि बैंकों के उधार दरों में नीतिगत दरों के समय पर प्रसारण के लिए माहौल में काफी सुधार आएगा, अगर (i) बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का अधिक तेजी से और कुशलता से हल किया जाए; (ii) बैंकिंग क्षेत्र का पुनर्पूंजीकरण तेजी से कर लिया जाए; और (iii) समान परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में परिवर्तन से लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को समायोजित करने के फार्मूला को पूरी तरह से लागू किया जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=39505)

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य

मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय प्रस्तुत किए गए है जो बैंकिंग संरचना के और सुदृढ़ीकरण तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों की सक्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जाने हैं। वक्तव्य में निम्न निर्णयों की घोषणा की गई है :

I प्रवर्तन कार्य के लिए एक अच्छा ढांचा और प्रक्रिया विकसित करने की दृष्टि से एक अलग से प्रवर्तन विभाग स्थापित किया जाए। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए गए और नया विभाग 1 अप्रैल 2017 से कार्य शुरू करेगा।

II साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-विषयक स्थायी समिति का गठन किया जाए जो अन्य बातों के साथ-साथ (क) मौजूदा/उभरती प्रौद्योगिकी में अंतर्निहित खतरों की समीक्षा करेगी (ख) विभिन्न सुरक्षा मानकों/शिष्टाचारों को अपनाने संबंधी अध्ययन करेगी (ग) स्टेकधारकों के साथ इंटरफेस करेगी और (घ) साइबर सुरक्षा और लचीलेपन को सुदृढ़ करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देगी। इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी जांच और साइबर सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञ पैनल (अध्यक्षः श्रीमती मीना हेमचंद्र),की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 2 जून 2016 को बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें साइबर जोखिम के समाधान हेतु साइबर सुरक्षा की तत्परता का अधिदेश दिया गया है। जबकि बैंकों ने अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं, हाल के विविध और चतुराई पूर्ण साइबर प्रहारों ने साइबर सुरक्षा क्षेत्र और उभरते खतरों की चालू समीक्षा को जरूरी बना दिया है।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=39506)

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत निदेश जारी किया गया जो 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हो जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतिम दिशानिर्देश जारी करने के पहले 16 फरवरी 2017 को मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो,पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त की ।

हाल के घटनाक्रम ने छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन सहित कार्ड से भुगतान को बढ़ावा दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, कार्ड से भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यापारियों के एक व्यापक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, डेबिट कार्ड से लेनदेन के लिए एमडीआर संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। यह मसौदा परिपत्र इन चर्चाओं की परिणति है और लेन-देन के मूल्य के आधार पर वर्तमान स्लैब-दर एमडीआर से व्यापारी कारोबार आधारित एमडीआर संरचना में बदलाव चाहता है, जिसके लिए व्यापारियों को उपयुक्त रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पृष्ठभूमि

मार्च 2016 में, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक संकल्पना पत्र प्रकाशित किया गया था जिसमें एमडीआर संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों के साथ देश में कार्ड स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की रणनीति बताई गई थी। आगे, 16 दिसंबर 2016 को, डेबिट कार्ड लेनदेन पर एमडीआर से संबंधित विशेष उपाय 01 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 से तीन महीने की अवधि के लिए शुरू किए गए, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि हितधारकों के साथ परामर्श के बाद इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन पर प्रभारों के ढांचे की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि यह कार्ड कारोबार का अधिग्रहण करने में लगी लागत का आकलन करते समय एक दीर्घावधि एमडीआर संरचना को तैयार करने के लिए आवश्यक है।

पहले जून 2012 में, यथामूल्य आधार पर डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर के स्थान पर एक नियामक कैप को डाल दिया गया था।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10860Mode=0)

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=39598)

सरकारी और बैंक लेखा

व्यापारी छूट दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार को भुगतान करते समय डेबिट कार्ड वाले लेनदेनों से संबंधित व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को समाहित करने के भारत सरकार के निर्णय को परिचालित करने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जनवरी 2017 से कर और गैर-कर संबंधी बकाए का सरकार को भुगतान करने के लिए प्रयोग किए गए डेबिट कार्डों पर बैंकों को व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया है कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी दावों की भाँति सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र के साथ व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति हेतु अपने दावे तिमाही आधार पर हमारे केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को अग्रेषित करें। ये दावे बैंक के सरकारी बैंकिंग प्रभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएं। उन्हें यह भी प्रमाणित करना होगा कि रु. 1.00 लाख तक के लेनदेन के लिए अदाकर्ता से व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) प्रभार नहीं लिया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए ऐसा प्रथम दावा 30 अप्रैल 2017 तक किया जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUseraspx?Id=10860Mode=0)

बैंकिंग विनियमन

बासल III पूंजी विनियम – अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी

रिजर्व बैंक ने 2 फरवरी 2017 को, बासल III पूंजी विनियमों-अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी से संबंधित मास्टर परिपत्र में निम्नानुसार संशोधन किया:

'वितरण योग्य आइटम' से बाहर कूपन का भुगतान किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, कूपन का चालू वर्ष लाभांश से भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, अगर चालू वर्ष के लाभांश पर्याप्त नहीं हैं, कूपन का भुगतान निम्न उपलब्धता के अधीन किया जा सकता:

(i) लाभांश, पिछले साल से आगे लाया गया, और / या

(ii) भंडार कुल लाभ का विनियोग दर्शाता है, जिसमें सांविधिक रिज़र्व शामिल और जिसमें शेयर प्रीमियम, पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व, निवेश रिजर्व और समामेलन पर बनाए रिज़र्व को शामिल नही किया गया।

संचित घाटा और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो,को (i) और (ii) से घटाया जाएगा ताकि कूपन के भुगतान के लिए उपलब्ध शेष राशि को निकाला जा सके।

यदि इनका समग्र (क) चालू वर्ष में लाभांश; (ख) पिछले साल से आगे लाया गया लाभ और (ग) ऊपर (ii) के रूप में स्वीकृत रिज़र्व, सांविधिक रिज़र्व को छोड़कर,संचित घाटा और आस्थगित राजस्व व्यय का कुल कूपन की राशि से कम हैं, उसके बाद ही बैंक को संवैधानिक रिज़र्व से समायोजन करना होगा। ऐसे मामलों में, बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 (2) का अनुपालन करते हुए इस तरह के समायोजन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करना आवश्यक हैं।

यह नोट किया जाए है कि इस संबंध में रिज़र्व के समायोजन के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

रिजर्व से निरंतर ऋण उपकरणों (पीडीआई) पर कूपन का भुगतान, हालांकि, जारी करने वाले बैंक के सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीईडी1), के लिए न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन और टीयर 1 और हर समय पर घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता सहित कुल पूंजी अनुपात और बफर फ्रेमवर्क के तहत प्रतिबंध के अधीन (अर्थात पूंजी संरक्षण बफ़र और काउंटर चक्रीय पूंजी बफर) है।

निरंतर ऋण उपकरणों के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए, बैंकों यह सुनिश्चित करे और अपने प्रस्ताव दस्तावेजों में संकेत दे कि उन्हें हर समय वितरण / भुगतान को रद्द करने का पूरा अधिकार है

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10848Mode=0)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिक स्वर्ण ऋण प्रदान कर सकते हैं

रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2017 को निम्नलिखित शर्तों के अधीन योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की मात्रा को 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये कर दिया :

i. ऋण की अवधि मंजूरी की तारीख से 12 माह से अधिक न हो।

ii. इस खाते पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाया जाएगा किंतु वह केवल मंजूरी की तारीख से 12 माह के अंत में मूलधन की चुकौती के साथ ही भुगतान के लिए देय होगा।

iii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि पर लगातार आधार पर 75% मूल्य पर ऋण (एलटीवी) अनुपात बनाए रखना होगा, जिसके न होने पर ऋण को अनजर्क आस्ति (एनपीए) माना जाएगा।

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि स्वर्ण/स्वर्ण के आभूषणों के संपार्श्विक जमानत पर मंजूर किए गए फसल ऋण ऐसे ऋणों के लिए आय निर्धारण,आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मौजूदा मानदंडों द्वारा अधिशासित होते रहेंगे।

इससे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकमुश्त चुकौती के विकल्प सहित एक लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10861Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

मास्टर निर्देश– धन अंतरण सेवा योजना

रिजर्व बैंक ने 24 फरवरी 2017 को मनी ट्रांसफर सेवा योजना (एमटीएसएस) से संबंधित मास्टर निर्देश जारी किए है, जो विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत विप्रेषण का एक त्वरित और आसान तरीका है। एमटीएसएस का इस्तेमाल भारत में व्यक्तिगत विप्रेषण के लिए,जैसे परिवार रखरखाव के लिए प्रेषण और भारत की यात्रा पर विदेशी पर्यटकों के पक्ष में प्रेषण के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग भारत से बाहर प्रेषण के लिए नहीं किया जा सकता है।

प्रणाली में विदेश की प्रतिष्ठित धन अंतरण करनेवाली कंपनी जिसे विदेशी प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है और भारत के एजेंटों जिसे भारतीय एजेंट के रूप में जाना जाता है, जो मौजूदा विनिमय दरों पर भारत में लाभार्थियों को धन वितरित करेगें, के बीच एक टाई-अप की परिकल्पना की गई है। भारतीय एजेंट अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बदले में उप-एजेंटों की भी नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय एजेंट को विदेशी प्रिंसिपल को कोई भी राशि के विप्रेषण की अनुमति नहीं है। एमटीएसएस के तहत, विप्रेषणकर्ता और लाभार्थी केवल व्यक्ति हैं।

इस विषय पर मास्टर दिशा-निर्देश में प्रवेश के मानदंडों, प्राधिकरण, नवीकरण और धन अंतरण सेवा योजना में शामिल संस्थाओं से संबंधित विभिन्न ऑपरेटिंग निर्देशों के बारे जानकारी शामिल हैं।

सांविधिक आधार

भारतीय रिजर्व बैंक ने धन अंतरण सेवा योजना के तहत एक भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक अनुमति (प्राधिकार) प्रदान कर सकती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी विशेष अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षमता में भारत में सीमा पार से धन हस्तांतरित करने का व्यवसाय नहीं कर सकता हैं।

प्रवेश मानदंड

- एक भारतीय एजेंट बनने के लिए आवेदक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- ख बैंक या एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- II या एक संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी), या एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या डाक विभाग होना चाहिए।
- आवेदक की रु 50 लाख की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक के लिए आवेदन

एक भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आवेदक का पंजीकृत कार्यालय आता है और आवेदन निर्धारित रूप में प्रस्तावित विदेशी प्रिंसिपल से संबंधित दस्तावेजों के साथ किया जाना चाहिए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10868Mode=0)

बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थागत निवेशक

विदेशों में रुपया मूल्यवर्ग बांड जारी करनेवाली भारतीय संस्थाओं को निवेशकों के अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए 16 फरवरी, 2017 को रिज़र्व बैंक ने जहां भारत एक सदस्य देश है वहां बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं (एफआई) को रुपया मूल्यवर्ग बांड में निवेश करने अनुमति दी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10865Mode=0)

एनआरआई को ईटीसीडी मार्केट में ॲक्सेस

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को अतिरिक्त हेजिंग उत्पादों से सक्षम करने के उद्देश्य से भारत में अपने निवेश की हेजिंग करने के लिए रिजर्व बैंक ने उन्हें 2 फरवरी 2017 को एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) बाजार में ॲक्सेस की अनुमति दी ताकि वे भारत में अपने निवेश से उत्पन्न मुद्रा जोखिम की हेजिंग कर सकें। उन्हें निम्नलिखित नियम और शर्तों का पालन करना होगा :

- अनिवासी भारतीय ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) और ईटीसीडी क्षेत्र के अपने संयुक्त निवेश की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए किसी अधिकृत डीलर (ए.डी.) संवर्ग-I बैंक को पदनामित करेंगे;
- अनिवासी भारतीय ऋण और इक्विटी में स्वीकीर्य (फेमा 1999 के तहत,)रुपया निवेश और देय लाभांश और एनआरई खातों में धारित शेषराशियों के बाजार मूल्य पर मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए करेंसी फयूचर/ एक्सचेंज ट्रेडेड आप्शन बाजार कारोबार के विकल्पों को चुन सकते है
- एक्सचेंज / समाशोधन निगम नामित बैंक को एनआरआई के सभी लेन-देनों का विवरण प्रदान करेगा;
- नामित बैंक अपने और अन्य ए.डी.बैंकों के साथ अनिवासी भारतीयों के एक्सचेंज के साथ ही ओटीसी डेरिवेटिव अनुबंधों में बुक किए गए लेनदेनों को समेकित करेगा। नामित बैंक कुल निवेश की निगरानी करेगा और अंतर्निहित रुपया मुद्रा जोखिम संभावना को सुनिश्चित करेगा और उल्लंधन यदि कोई हो, तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी); के संज्ञान में लाएगा।
- अंतर्निहित जोखिम के अस्तित्व को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित एनआरआई की होगी। अंतर्निहित एक्सपोज़र का परिमाण हेज लेनदेन के माध्यम से एक्सपोज़र के परिमाण से अधिक होगा तो संबंधित एनआरआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

वर्तमान में, अनिवासी भारतीयों को ए.डी.बैंकों के साथ ओटीसी लेनदेनों के माध्यम से अपने रुपया मुद्रा जोखिम को हेज करने की अनुमति दी जाती है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10849Mode=0)

उल्लंघनों की कंपाउंडिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 फरवरी 2017 को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नानुसार कुछ और शक्तियों का प्रत्यायोजन किया:

फेमा विनियम	उल्लंघन का संक्षिप्त ब्योरा
दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची-ख का पैराग्राफ 9(2)	वर्तमान वर्ष सहित पिछले वर्ष (वर्षों) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी देयताएं एवं परिसंपत्ति विवरण (ऋड विवरणी) के संबंध में वार्षिक विवरणी फाइल करने में विलंब करना।

उल्लंघनों को कंपाउंड करने की शक्तियां, उल्लंघन की राशि की सीमा पर विचार किए बिना सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (कोच्चि एवं पणजी को छोड़कर) को प्रत्यायोजित की गई हैं।

ऊपर उल्लिखित उल्लंघनों के संबंध में कोच्चि तथा पणजी क्षेत्रीय कार्यालय केवल एक सौ लाख रुपये (1,00,00,000/-) से कम राशि तक के उल्लंघनों को कंपाउंड कर सकते हैं। कोच्चि तथा पणजी क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले रुपए एक सौ लाख (1,00,00,000/-) अथवा उससे अधिक राशि के उल्लंघनों को पहले की भांति केंद्रीय कार्यालय में कंपाउंड किया जाना जारी रहेगा।

तदनुसार उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए आवेदन, संबंधित कंपनियों द्वारा रिज़र्व बैंक के उन क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाएंगे जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे आती हैं। सभी अन्य उल्लंघनों के लिए आवेदन विदेशी मुद्रा विभाग, पाँचवी मंजिल, अमर बिल्डिंग, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किया जाना जारी रहेगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10847Mode=0)

गैर-बैंकिंग विनियमन

दिशा निर्देशों की समीक्षा- ''ऋण का मूल्य निर्धारण''

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 फरवरी 2017 को सभी एनबीएफसी-एमएफआई को सूचित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी तिमाही के दौरान स्वीकृत ऋणों पर औसत ब्याज दर उसके पिछले तिमाही के दौरान लिए गए कर्ज पर औसत लागत तथा निर्धारित सीमा में मुनाफा के योग से अधिक नहीं हो।

इससे पहले एनबीएफसी-एमएफआई से अपेक्षित था कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणों पर औसत ब्याज दर उस वित्तीय वर्ष के दौरान लिए गए कर्ज पर औसत लागत तथा निर्धारित सीमा में मुनाफे के योग से अधिक नहीं हो।

चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए औसत आधार दर तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है इसलिए एनबीएफसी-एमएफआई को ''ऋण के मूल्य निर्धारण'' पर लागू दिशा निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10846Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

तिजोरी शेष सीमा / नकदी धारण सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी 2017 को सूचित किया कि आगामी अनुदेशों तक 10 नवंबर, 2016 से मुद्रा तिजोरियों में जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को गंदे नोटों की श्रेणी में तिजोरी शेष का भाग माना जाएगा लेकिन इस प्रकार की विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के जमाओं को तिजोरी शेष सीमा / नकदी धारण सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10858Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

एफआरए और आईआरएस - पाक्षिक विवरणों की प्रस्तुती

विवरणों की प्रस्तुती युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में रिजर्व बैंक ने 16 फरवरी, 2017 को सूचित किया कि बैंकों को तत्काल प्रभाव से वायदा दर करार (एफआरए) और ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) पर पाक्षिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक रिजर्व बैंक कों विवरणों की हार्ड कॉपी भेजना बंद करें। भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपॉजिटरी में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी), विदेशी मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव लेनदेनों की रिपोर्ट भेजने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे पहले, बैंकों को विभिन्न अन्य विभागों को एक प्रति के साथ रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति विभाग को एफआरए / आईआरएस पर एक पाक्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10864Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।